सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 18.11.2026

- **साइबर क्राइम पुलिस थाना एवं स्वाट टीम द्वारा विदेश में कंपनियां स्थापित कर नौकरी दिलाने के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का किया गया पर्दाफाश, एक अभियुक्त गिरफ्तार**
- **जनपद सोनभद्र में लगभग ₹37 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन प्रकाश में आए, देशभर में करीब 200 साइबर शिकायतें, ठगी की कुल धनराशि ₹100 करोड़ से अधिक होने की आशंका**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं साइबर अपराधों के अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम पुलिस थाना सोनभद्र को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन **श्री ऋषभ रुणवाल** एवं क्षेत्राधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा विदेश में कंपनियां स्थापित कर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनका उपयोग देशभर में साइबर ठगी की धनराशि के लेनदेन में करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए **अभियुक्त सौरभ सिंह** को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं प्रकरण का विवरण-

मु0अ0सं0 14/2026, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस एवं 66डी आईटी एक्ट थाना साइबर थाना जनपद सोनभद्र के अंतर्गत अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र प्रमोद सिंह, निवासी नेवढ़िया, थाना करछना, जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्त अपने सहयोगियों के साथ मिलकर **विदेश में कंपनियां स्थापित कर तथा विदेश में नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर** लोगों के बैंक खाते खुलवाता था। इन बैंक खातों का उपयोग देशभर में विभिन्न प्रकार की साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि के लेनदेन एवं हस्तांतरण के लिए किया जाता था।

विदेश में कंपनियां स्थापित कर साइबर अपराध का नेटवर्क संचालित करना

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में अपने साथी की पत्नी के नाम से निम्नलिखित कंपनियां स्थापित/संचालित की गई थीं—

1. Lab Med Medicine Logistics Company

2. ASL Logistics Company

3. Kumar Singh LLC

इन कंपनियों के माध्यम से भारत में लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया जाता था। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनके एटीएम कार्ड, पासबुक एवं सिम कार्ड प्राप्त कर लिए जाते थे। इनका उपयोग साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि के लेनदेन एवं हस्तांतरण में किया जाता था।

बैंक खातों की खरीद-फरोख्त एवं करोड़ों रुपये की धनराशि का हस्तांतरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक खाते विभिन्न व्यक्तियों से धनराशि देकर प्राप्त किए जाते थे। इसके लिए सेविंग खातों के बदले लगभग ₹10,000 से ₹20,000 तथा कॉरपोरेट खातों के बदले लगभग ₹50,000 से ₹1,00,000 तक भुगतान किया जाता था। प्राप्त खातों को आगे साइबर अपराध में संलिप्त व्यक्तियों को लगभग ₹2,00,000 तक में उपलब्ध कराया जाता था। इन खातों में **निवेश, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग एवं अन्य साइबर धोखाधड़ी** के माध्यम से देशभर के पीड़ितों से प्राप्त धनराशि हस्तांतरित कराई जाती थी। इसके पश्चात उक्त धनराशि को विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से आगे हस्तांतरित कर नकद निकासी एवं क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने के माध्यम से साइबर अपराधियों तक पहुंचाया जाता था।

जनपद सोनभद्र में लगभग ₹37 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन एवं देशभर में 200 साइबर शिकायतें

प्रकरण की जांच में जनपद सोनभद्र से संबंधित विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से **लगभग ₹37 करोड़** की धनराशि का लेनदेन प्रकाश में आया है। इसके अतिरिक्त उक्त नेटवर्क से संबंधित देशभर में **लगभग 200 साइबर शिकायतें NCRP पोर्टल** पर दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई है। संबंधित शिकायतों एवं उनमें संलिप्त धनराशि के समग्र आकलन के आधार पर धोखाधड़ी की कुल **धनराशि ₹100 करोड़ से अधिक होने की आशंका** है। प्रकरण में विभिन्न बैंक खातों, संबंधित व्यक्तियों, धनराशि के स्रोत एवं उसके अंतिम हस्तांतरण की विस्तृत जांच की जा रही है।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों से भी सामने आया नेटवर्क का संबंध-

उक्त साइबर अपराध नेटवर्क के संबंध में जनपद सोनभद्र में पूर्व में भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था—

1. **मु0अ0सं0 602/2026,** धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस एवं 66डी आईटी एक्ट थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र में अभियुक्त रवि पाण्डेय पुत्र श्रीनिवास पाण्डेय, निवासी शाहगंज, जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया था।
2. **मु0अ0सं0 22/2026,** धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस एवं 66डी आईटी एक्ट साइबर थाना जनपद सोनभद्र में अभियुक्त बृजेश कुमार पाण्डेय, निवासी उमरी, थाना शाहगंज, जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया था।

उक्त अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराध हेतु उपलब्ध कराने तथा इन खातों को अनुपम सिंह एवं नायब खान के माध्यम से आगे उपलब्ध कराए जाने की जानकारी प्रकाश में आई थी।

विवेचना के दौरान शिकायतकर्ता सुनील शर्मा, जय सिंह, चेतना त्रिपाठी एवं निखिल सोनी सहित अन्य पीड़ितों से संबंधित धनराशि तथा संदिग्ध व्यक्तियों के खातों के माध्यम से लगभग ₹37 करोड़ के लेनदेन की जानकारी प्रकाश में आई है।

अभियुक्त की विदेश यात्राएं एवं अन्य गतिविधियां

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा वर्ष 2021 से 2025 के मध्य दुबई में रहने तथा नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया एवं मलेशिया की यात्रा किए जाने की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा वीजा में हेरफेर कर फर्जी वीजा उपलब्ध कराने एवं विभिन्न मार्गों से लोगों को यूरोपीय देशों में भेजने जैसी गतिविधियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है। इन तथ्यों की भी विस्तृत जांच की जा रही है।

अपराध करने का तरीका (Modus Operandi)

अभियुक्त एवं उसके सहयोगियों द्वारा कथित रूप से निम्नलिखित तरीकों से साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता था—

1. JOB FRAUD: विदेश में नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर लोगों के बैंक खाते खुलवाना तथा उनके एटीएम कार्ड, पासबुक एवं सिम कार्ड प्राप्त करना।
2. INVESTMENT FRAUD: शेयर ट्रेडिंग, ऑनलाइन निवेश एवं अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों से धनराशि की ठगी करना।
3. GAMING INVESTMENT FRAUD: ऑनलाइन गेमिंग एवं निवेश के नाम पर लोगों को धन निवेश करने के लिए प्रलोभित करना।
4. ONLINE SHOPPING FRAUD: ऑनलाइन खरीदारी एवं अन्य डिजिटल माध्यमों से लोगों के साथ साइबर धोखाधड़ी करना।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सौरभ सिंह पुत्र प्रमोद सिंह, निवासी नेवढ़िया, थाना करछना, जनपद प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद चार पहिया वाहन महिन्द्रा थार।
- 02 अदद चेकबुक।
- कुल 27 अदद क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
- 03 अदद बैंक पासबुक।
- केनरा बैंक में खाता खुलवाने का 01 अदद फार्म।
- 03 अदद मोबाइल फोन।
- 01 अदद एप्पल कंपनी का लैपटॉप।
- **नेपाली मुद्रा** – 10 रुपये के 02 अदद, 05 रुपये के 02 अदद, 20 रुपये का 01 अदद एवं 100 रुपये का 01 अदद नोट।
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की मुद्रा – 05 रुपये का 01 अदद एवं 10 रुपये के 02 अदद नोट।
-

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 श्री धीरेन्द्र कुमार चौधरी, साइबर थाना/साइबर सेल, जनपद सोनभद्र।
2. प्र0नि0 श्री रामस्वरूप वर्मा, स्वाट टीम, जनपद सोनभद्र।
3. हे0का0 श्री संजय कुमार वर्मा, साइबर थाना, जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 श्री मनीष सिंह, स्वाट टीम, जनपद सोनभद्र।
5. का0 श्री सत्यम पाण्डेय, स्वाट टीम, जनपद सोनभद्र।
6. का0 श्री अभिषेक तिवारी, साइबर सेल, जनपद सोनभद्र।
7. का0 श्री सुनील रावत, साइबर सेल, जनपद सोनभद्र।